गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.11.2017 को सायं 4:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो. अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.एस. रणदिवे	सदस्य
3.	प्रो. अनुपमा सक्सेना	सदस्य
4.	प्रो. पी.के. बाजपेयी	सदस्य
5.	प्रो. विशन सिंह राठौड़	सदस्य
6.	प्रो. मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
7.	प्रो. एम.के. सिंह	सदस्य
8.	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
9.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
10.	डॉ. रेणु भट्ट	सदस्य
11.	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12.	डॉ. एस.एस. धुरिया	सदस्य
13.	डॉ. राकेश पाण्डेय	सदस्य
14.	प्रो. बी.एन. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.09.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.07.2017 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा "शिक्षकों एवं अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अहर्ताओं संबंधी विनियम 2016 (चतुर्थ संशोधन)" की कंडिका श्रेणी 03 ख के अंतर्गत ए.पी.आई स्कोर के निर्धारण संबंधी।**

स्थायी समिति ने चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया कि UGC के मापदंडों के आधार पर API की गणना हेतु श्रेणी III (ख) के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय के वेबपटल पर शीघ्रता से पुस्तकों की सूची अपलोड की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सूची निर्माण हेतु संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता विश्वविद्यालय के ग्रंथालय से प्रकाशकों/पुस्तकों की सूची प्राप्त करेंगे। तदोपरांत संबंधित विषय/विभाग के शिक्षकों से चर्चा कर उनसे भी सूची लेकर प्रकाशकों /पुस्तकों की सूची का निर्धारण करेंगे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं के द्वारा अनुशंसित सूची विकास शाखा के माध्यम से विश्वविद्यालय वेबपटल पर जारी कराया जाये एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूची की जानकारी प्रेषित की जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त जानकारी के प्रसारण एवं सूची को शामिल करने संबंधी शुद्धि पत्र विज्ञापन के संदर्भ में जारी किया जाये।

समिति ने उक्त विषय पर चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया कि किसी विषय/विभाग के अंर्तसम्बद्ध शाखाओं/विषयों (Interdisciplinary Subjects) का निर्धारण संबंधित विभागों/विषयों के विभागाध्यक्ष से चर्चा कर संबंधित अधिष्ठाता द्वारा किया जाये। अधिष्ठाताओं द्वारा अनुशंसित सूची को प्रशासन शाखा में जमा कराने के उपरांत उक्त विषयों की सूची शुद्धि पत्र के रूप में विज्ञापन के साथ प्रकाशित कराया जाये।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

अ.अ.वि.क्र 1 अधिष्ठाता गणित एवं संगणक विज्ञान अध्ययनशाला के द्वारा शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त गणित विभाग के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों के नामों पर पुनर्विचार का कार्य अधिष्ठाताओं की समिति द्वारा किया जाये एवं अधिष्ठाताओं की समिति से प्राप्त नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जाये।

अ.अ.वि.क्र 2 शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त गणित विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भविष्य में कराये जाने संबंधी सूचना ग्रहण की गई एवं विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अ.अ.वि.क्र 3 स्थायी समिति ने यह भी निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन हेतु समय–सारणी का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि एक सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों में कम से कम 01–01 दिन का अंतराल आये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**